FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

शिब्बा बनाम हरसहाय वगैरह मु.नं. 157 / 2025

किस्म मुकदमा – वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2025	यह वादपत्र वादी की ओर से अभिभाषक श्री खेमसिंह गुर्जर द्वारा बाबत बेदखली आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09.01.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
09.01.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.02.26 को पेश हो।	
13.02.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. ७ की ओर से अभिभाषक श्री भुवनेश कुमार मीना ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तामीलें पेश नहीं की। तामीलें अनिवार्य रूप से पेश हो। पत्रावली वास्ते जवाब ~~वादी~~ दावा ~~वादी~~ प्रतिवादी सं. ७ एवं तलबी प्रतिवादी सं. 27.3.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
Not press [illegible] 27/2/26 ह. शिब्बा 27.2.26	प्रार्थी/वादी शिब्बा पुत्र सुगन की ओर से प्रा.पत्र बाबत पत्रावली तलब करने एवं पत्रावली विड्रो करने पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी/वादी एवं उनका वकील ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज शिवका ...बनाम... हरसहाय मु.नं.– 157/25 किस्म – दावा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उत्पानी प्रकरण के विवाद का पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निस्तारण हो गया है इसलिए प्रार्थी/वादी अपने दावे को आगे चलाना नहीं चाहता है इस बाबत प्रार्थी/वादी द्वारा पत्रावली पर Not Press किया। प्रार्थी/वादी द्वारा पत्रावली पर किया गया Not Press स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)